[1990] 2 उम० नि० प० 493

मैसर्स भारत सरफैक्टेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड और एक अन्य

बनाम

भारत संघ और एक अन्य

17 मई, 1989

मु० न्या० आर० एस० पाठक, न्या० सव्यसाची मुखर्जी, एस० नटराजन, एम० एन० वेंकटचलय्या और एस० रंगनाथन

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)—धारा 15—(सपठित संविधान का अनुच्छेद 14) आयात-शुल्क—विभेद—नागरिकों द्वारा देशी उपभोग के लिए माल के आयात पर 150 प्रतिशत की दर से शुल्क अधिरोपित किया जाना, जबकि राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए तत्स्थानी आयातों पर केवल 5 प्रतिशत की दर से शुल्क अधिरोपित

1989(5) eILR(PAT) SC

किया जाना—यहां विभेद मनमाना और उच्छृंखल नहीं है क्योंकि उसमें अंतर्प्रवेश की तारीख का अवधारण करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया विहित की गई है—प्राधिकारियों की बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें अनियंत्रित विवेकाधिकार प्रदान किया गया है—इस प्रकार यहां संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा।

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)—धारा 15(1) आयात शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन—भारत में खाद्य तेल का आयात किया जाना—ऐसे आयातों पर सीमा-शुल्क अधिरोपित किया जाना—आयात-शुल्क तथा टैरिफ मूल्यांकन की दर के लिए सुसंगत तारीख का अवधारण—सुसंगत तारीख वह होगी जिसको कि धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र पेश किया जाता है—यदि प्रवेशपत्र पोत के अंतर्प्रवेश से पूर्व पेश कर दिया जाता है तो सुसंगत तारीख वह तारीख होगी जिसको कि पोत ने अंतर्प्रवेश किया था।

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)—धारा 15—विधिमान्यता—उक्त धारा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती और इसलिए पूर्ण रूप से विधिमान्य है।

याचियों ने विदेशी विक्रेताओं के साथ खाद्य तेल के प्रदाय के लिए संविदा की थी। खाद्य तेल का परेषण समुद्र मार्ग से समुद्र-यान एम० वी० कोट्टरातू द्वारा भेजा गया था। यह जलयान मुंबई पहुंचा और 4 जुलाई, 1981 को 'पूर्व प्रविष्टि' की गई। यह वस्तुतः मुंबई पत्तन में 11 जुलाई, 1981 को पहुंचा और अपना आगमन रजिस्टर कराया। याचियों का कहना है कि मुंबई के पत्तन प्राधिकारी जलयान को बर्थ(घाट)आबंटित करने में असमर्थ रहे और चूंकि उस जलयान द्वारा ले जाए जा रहे माल के पक्षकारों द्वारा बहुत दबाव पड़ रहा था, इसलिए अन्य स्थोरा उतारने के लिए मुंबई से कराची के लिए चल पड़ा। यह अभिकथन किया गया कि जलयान कराची से अपनी वापसी यात्रा पर रवाना हुआ और 23 जुलाई, 1981 को मुंबई पत्तन में पहुंच गया तथा बर्थ पाने की प्रतीक्षा करने लगा। 4 अगस्त, 1981 को उसे प्रिंसेस डॉक्स 'सी' रोड में एक बर्थ उपलभ्य कराई गई और सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने उसी तारीख को 'अंतिम प्रवेश' दर्ज किया। याचियों ने यह उल्लेख किया है कि जब जलयान ने मुंबई के लिए अपनी आरंभिक यात्रा शुरू की और वह पत्तन जल में खड़ा इंतजार कर रहा था तो याचियों ने 9 जुलाई, 1981 को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को प्रवेशपत्र पेश किया। वह प्रवेशपत्र पतन प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा प्रवेशपत्र पर 18 जुलाई, 1981 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें परेषण की परीक्षा करने का निदेश दिया गया।

यह उल्लेख किया गया कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने याचियों द्वारा आयात किए गए खाद्य तेल पर 15 प्रतिशत की दर से इस आधार पर सीमा-शुल्क अधिरोपित किया कि आयात 31 जुलाई, 1981 को, अर्थात् अंतर्प्रवेश की तारीख को ही किया गया था। याचियों का यह पक्षकथन है कि आयात पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर वह दर होनी चाहिए जो 11 जुलाई, 1981 को लागू थी जिस दिन जलयान वस्तुतः पहुंचा और मुंबई पत्तन में आमद दर्ज कराई और यदि ऐसा न होता कि कोई बर्थ उपलभ्य नहीं थी, तो जलयान अपना स्थोरा मुंबई में ही उतार सकता था और वह उस पत्तन को छोड़कर कराची न

जाता और न ही लौट कर जुलाई, 1981 के अंत में उसे मुंबई आना पड़ता। इसके अनुकल्प के रूप में याचियों का पक्षकथन यह है कि यदि यह पाया जाता है कि याचियों द्वारा किए गए आयात पर 15 प्रतिशत की दर पर सीमा-शुल्क का उद्ग्रहीत किया जाना असांविधानिक और विधिशून्य है क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का इस कारण उल्लंघन होता है कि समान रूप से किए गए खाद्य तेल के आयात पर राज्य व्यापार निगम पर केवल 5 प्रतिशत की दर पर सीमा-शुल्क अधिरोपित किया गया था। याचियों ने सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 की विधिमान्यता को भी चुनौती दी है जिसके अधीन शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन अवधारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचियों द्वारा पेश की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—धारा 15 के उपबंध अपने आप में ही स्पष्ट हैं। वह तारीख जिसको कि धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है। देशी उपभोग के लिए प्रवेश किए गए माल के मामले में शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर अवधारित करने की सुसंगत तारीख वही तारीख है जिसको कि प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां प्रवेश पत्र जलयान के अंतर्प्रवेश की तारीख से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है वहां प्रवेश पत्र के बारे में यह समझा जाता है कि वह ऐसे अंतर्प्रवेश की तारीख को प्रस्तुत किया गया। (पैरा 13)

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स ओमेगा इंस्यूलेटेड केबल कंपनी लिमिटेड वाले मामले में अपनाया गया मत सही दृष्टिकोण व्यक्त करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 16 में किया गया संशोधन, स्पष्टीकरण के रूप में किया गया और न्यायालय की राय में, इस निष्कर्ष से पृथक् नहीं है कि 'जलयान के अंतर्प्रवेश की तारीख' वह तारीख है जो सीमा-शुल्क रजिस्टर में अभिलिखित की गई है। प्रस्तुत मामले में, 'जलयान के अंतर्प्रवेश की तारीख 31 जुलाई, 1981 उल्लिखित की गई है। किसी अन्य बात के अभाव में, न्यायालय यह मान सकते हैं कि यह प्रविष्टि उसी तारीख को अभिलिखित की गई। तदनुसार, आयात शुल्क और मूल्यांकन की दर सही होगी जो 31 जुलाई, 1981 को प्रवृत्त थी। याचियों की यह दलील कि आयात शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर 11 जुलाई, 1981 को लागू दर से ही नियंत्रित होगी, कायम नहीं की जा सकती और नामंजूर की जाती है। (पैरा 15)

इस प्रश्न के बारे में कि क्या सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 15 इस आधार पर अधिकारातीत है कि यह सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को अंतर्प्रवेश की तारीख अवधारित करने के विषय में मनमाने विवेकाधिकार प्रदान करती है ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस निवेदन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि उपबंध अविधिमान्य है। क्रमवार रूप से किए गए कृत्यों की श्रृंखला से ही कोई प्रक्रिया बनती है और यह उपधारणा युक्तियुक्त है कि इस श्रृंखला में किया गया प्रत्येक कार्य समय के भीतर पूरा हुआ। मामले को उस दृष्टि से देखते हुए, धारा 15 की विधिमान्यता पर किया गया आक्षेप विफल होता है। यह सच है कि माल के निर्यात के मामले में धारा 16 से संशोधन किया गया है और निर्यात वाले माल पर लागू होने वाली शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर विनिर्दिष्ट रूप से 'उस तारीख के जब समुचित अधिकारी निर्यात के लिए माल की निकासी या लदान की अनुमति देता है' के प्रति निर्देश से युक्तियुक्त हैं और यह स्पष्ट है कि धारा 15 के उपबंधों में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है। जो लोप हुआ है उसका

1989(5) eILR(PAT) SC

कोई परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण नियमित और निरंतर रूप से किया जा रहा है। न्यायालय के समक्ष यह दर्शित करने के लिए कोई बात नहीं है कि प्रक्रिया का अनुसरण करते समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने मनमाने रूप से कृत्य किया। (पैरा 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1989]	1980 की सिविल अपील सं० 1924-27=निर्णय की तारीख 17 मई, 1989=ए० आई० आर० 1989 एस० सी० 1713 : **एम० एम० भांगीर भतूशा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य;**	18
[1988]	[1988] 33 ई० एल० टी० 77=[1988] 14 ई० सी० आर० 101 (मुंबई) : **जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड बनाम एस० आर० पाटंकर, सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर मुंबई और अन्य;**	7
[1986]	1986 टैक्स एल० आर० 2022=[1985] 22 ई० एल० टी० 644 (मुंबई) (पूर्ण न्यायपीठ) : **अपार प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य;**	6
[1975]	[1975] 77 बांबे एल० आर० 380=आई० एल० आर० (1978) बांबे 425 : **साहनी बनाम मैसर्स सिल्वानिया एंड लक्ष्मण लिमिटेड;**	6
[1975]	1969 के रिट पिटीशन सं० 537=निर्णय की तारीख 9 जुलाई, 1975 : **मैसर्स ओमेगा इंस्यूलेटेड केबल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम सीमा-शुल्क नियंत्रक, मद्रास**	14

रिट अधिकारिता : 1981 की सिविल रिट याचिका सं० 3130.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल की गई रिट याचिका।

याचियों की ओर से — सर्वश्री सोली जे० सोराबजी, हरीश एन० साल्वे, के० के० पटेल, उज्वल राणा, राजीव दत्त और के० के० मोहन।

प्रत्यर्थियों की ओर से — श्री के० पाराशरन, महा-न्यायवादी, श्री बी० दत्त अपर महा-न्यायवादी, श्री कुलदीप सिंह अपर महा-न्यायवादी, सुश्री ए० सुभाषिणी, श्री सी० वी० सुब्बाराव, श्रीमती सुषमा सूरी, सर्वश्री ए० सुब्बाराव, ए० के० श्रीवास्तव और पी० पी० सिंह।

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति आर० एस० पाठक ने दिया ।

मु० न्या० पाठक—संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस रिट याचिका द्वारा याचियों ने अपने द्वारा भारत में आयात किए गए खाद्य तेलों पर 150% की दर से सीमा-शुल्क अधिरोपित किए जाने के विरुद्ध अनुतोष की मांग की है ।

2. याचियों ने विदेशी विक्रेताओं के साथ खाद्य तेल के प्रदाय के लिए संविदा की थी । खाद्य तेल का परेषण समुद्र मार्ग से समुद्र-यान एम० वी० कोट्टरातू द्वारा भेजा गया था । यह जलयान मुंबई पहुंचा और 4 जुलाई, 1981 को 'पूर्व प्रविष्टि' (प्रायर एंट्री) की गई । यह वस्तुत: मुंबई पत्तन में 11 जुलाई, 1981 को पहुंचा और अपना आगमन रजिस्टर कराया । याचियों का कहना है कि मुंबई के पत्तन प्राधिकारी जलयान को बर्थ(घाट)आबंटित करने में असमर्थ रहे और चूंकि उस जलयान द्वारा ले जाए जा रहे माल के पक्षकारों द्वारा बहुत दबाव पड़ रहा था, इसलिए वह अन्य स्थोरा (कार्गो) उतारने के लिए मुंबई से कराची के लिए चल पड़ा । यह अभिकथन किया गया कि जलयान कराची से अपनी वापसी यात्रा पर रवाना हुआ और 23 जुलाई, 1981 को मुंबई पत्तन में पहुंच गया तथा बर्थ (घाट) पाने की प्रतीक्षा करने लगा । 4 अगस्त, 1981 को उसे प्रिंसेस डॉक्स 'सी' रोड में एक बर्थ उपलब्ध कराई गई और सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने उसी तारीख को 'अंतिम प्रवेश' दर्ज किया । याचियों ने यह उल्लेख किया है कि जब जलयान ने मुंबई के लिए अपनी आरंभिक यात्रा शुरू की और वह पत्तन जल में खड़ा इन्तजार कर रहा था तो याचियों ने 9 जुलाई, 1981 को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को प्रवेश-पत्र (बिल ऑफ एंट्री) पेश किया । वह प्रवेशपत्र (बिल आफ एंट्री) पत्तन प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा प्रवेशपत्र पर 18 जुलाई, 1981 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें परेषण की परीक्षा करने का निदेश दिया गया ।

3. यह उल्लेख किया गया कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने याचियों द्वारा आयात किए गए खाद्य तेल पर 15 प्रतिशत की दर से इस आधार पर सीमा-शुल्क अधिरोपित किया कि आयात 31 जुलाई, 1981 को, अर्थात् अंतर्प्रवेश (इनवर्ड एंट्री) की तारीख को ही किया गया था । याचियों का यह पक्षकथन है कि आयात पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर वह दर होनी चाहिए जो 11 जुलाई, 1981 को लागू थी जिस दिन जलयान वस्तुत: पहुंचा और मुंबई पत्तन में आमद दर्ज कराई और यदि ऐसा न होता कि कोई बर्थ उपलभ्य नहीं हो, तो जलयान अपना स्थोरा मुंबई में ही उतार सकता था और वह उस पत्तन को छोड़कर कराची न जाता और न ही लौटकर जुलाई, 1981 के अंत में उसे मुंबई आना पड़ता । इसके अनुकल्प के रूप में, याचियों का पक्षकथन यह है कि यदि यह पाया जाता है कि याचियों द्वारा किए गए आयात पर 15 प्रतिशत की दर पर सीमा-शुल्क का उद्गृहीत किया जाना असांविधानिक और विधिशून्य है क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का इस कारण उल्लंघन होता है कि समान रूप से किए गए खाद्य तेल के आयात पर राज्य व्यापार निगम पर केवल 5 प्रतिशत की दर पर सीमा-शुल्क अधिरोपित किया गया था । याचियों ने सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 की विधिमान्यता को भी चुनौती दी है जिसके अधीन शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन अवधारित किया गया था ।

4. पक्षकारों के बीच मुद्दे को तय करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रभावी तारीख सुनिश्चित की जाए जिसके प्रति निर्देश से भारत में किए गए आयात पर शुल्क संदेय हो

जाता है। सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15(1) में निम्नलिखित उपबंध किया गया है—

> "15(1) आयातित माल को लागू होने वाली शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन, यदि कोई हो, वह प्रवृत्त दर और मूल्यांकन होगा जो—
>
> (क) धारा 46 के अधीन देशी उपभोग के लिए प्रविष्ट माल की दशा में उस तारीख को है जिसको ऐसे माल के बारे में उस धारा के अधीन प्रवेश-पत्र पेश किया जाता है;
>
> (ख) धारा 68 के अधीन भांडागार से निकासी किए गए माल की दशा में, उस तारीख को है जिसको माल भांडागार से वास्तव में हटाए जाते हैं;
>
> (ग) किसी अन्य माल की दशा में, शुल्क संदाय करने की तारीख को है :
>
> परंतु यदि प्रवेशपत्र उस जलयान के जिसके द्वारा माल आयात किए जाते हैं, अंतर्प्रवेश की अनुमति की तारीख के पहले पेश किया गया हो तो प्रवेशपत्र ऐसे अंतर्प्रवेश की अनुमति की तारीख को पेश किया गया समझा जाएगा।"

5. आयातित माल को लागू होने वाली तारीख और टैरिफ मूल्यांकन की दर धारा 15(1) के खंड (क) द्वारा नियंत्रित होती है। धारा 46 के अधीन देशी उपभोग के लिए प्रविष्ट माल के मामले में वह तारीख होगी जिसको ऐसे माल की बाबत उस धारा के अधीन प्रवेशपत्र प्रस्तुत किया जाता है। धारा 46 में यह उपबंध किया गया है कि किसी माल का आयातकर्ता समुचित प्राधिकारी को देशी उपभोग के लिए प्रवेशपत्र प्रस्तुत करते हुए विहित प्ररूप में प्रविष्टि दर्ज कराएगा और आगे यह उपबंध किया गया है कि कोई प्रवेशपत्र आयात सूची अथवा आयात रिपोर्ट का परिदान करने के पश्चात् किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रवेशपत्र ऐसी सूची के परिदान से पूर्व भी प्रस्तुत किया जा सकता है यदि उस जलयान के, जिसके द्वारा माल भारत में आयात किया गया है, ऐसे प्रस्तुत किए जाने से एक सप्ताह के भीतर पहुंचने की प्रत्याशा है। धारा 47 समुचित अधिकारी को अपना यह समाधान हो जाने पर किसी देशी उपभोग के लिए प्रविष्ट माल प्रतिषिद्ध माल नहीं है और आयातकर्ताओं ने निर्धारित आयात-शुल्क का और उसकी बाबत प्रभारों का भी संदाय किया है, देशी उपभोग के लिए माल की निकासी अनुज्ञात करने के लिए आदेश देने हेतु सशक्त करती है।

6. याचियों के अनुसार, खाद्य तेल का स्थोरा पोत के मुंबई पत्तन में मूल प्रविष्टि के दौरान इसलिए नहीं उतारा जा सका क्योंकि बर्थ उपलभ्य नहीं था और इसमें याचियों का कोई दोष नहीं है कि जलयान को अन्य स्थोरा उतारने के लिए कराची जाना पड़ा। याचियों की यह दलील है कि धारा 15 मनमानी और अस्पष्ट है और इसलिए यह असांविधानिक है क्योंकि इसमें शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर अवधारित करने के लिए कोई मानक या मानदंड नहीं दिया गया है और इसमें उन स्थितियों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है जो अनिश्चित हैं और आयातकर्ता के नियंत्रण से बाहर है। याचियों की यह

दलील है कि भारत में आयात किए गए माल पर प्रभार्य सीमाशुल्क की दर उस तारीख को प्रवृत्त दर है जिसको कि माल लाने वाला जलयान भारतीय सागर खंड में प्रवेश करता है। याचियों ने यह भी उल्लेख किया कि धारा 12 (1) में यह घोषणा की गई है कि सीमा-शुल्क भारत में आयात किए गए माल पर प्रवृत्त दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा और उन्होंने यह दलील दी है कि 'भारत' अभिव्यक्ति धारा 2 (27) द्वारा इस रूप में परिभाषित की गई है कि उसके अंतर्गत भारत का राज्य-क्षेत्रीय सागर खंड भी सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में, याचियों ने यह दलील दी कि जब जलयान 11 जुलाई, 1981 को राज्य-क्षेत्रीय सागर खंड में प्रविष्ट हुआ उस तारीख को सीमा-शुल्क की दर 12 5 प्रतिशत की दर से लागू थी जो आयात को लागू थी। याचियों ने यह दलील दी है कि चाहे जो भी हो यह दर 42.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीमा-शुल्क की वह दर 23 जुलाई, 1981 को लागू थी जब जलयान ने मुंबई पत्तन में प्रवेश किया। याचियों ने यह आग्रह किया है कि धारा 15 की विधिमान्यता को परिरक्षित रखने के लिए, हमें धारा 15(1) के परंतुक में 'अन्तर्प्रविष्टि की तारीख' अभिव्यक्ति को भी ऐसी तारीख के रूप में लेना चाहिए जिस तारीख को जलयान भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में प्रवेश करता है। याचियों के विद्वान् काउंसेल का यह कहना है कि यदि युक्तियुक्त रूप से धारा 15 (1) के उपबंधों का यह निर्वचन नहीं किया जाता, तो इस आधार पर धारा 15 की सांविधानिक विधिमान्यता को प्रश्नगत करना आवश्यक हो जाता है कि उस धारा की पदावली अस्पष्ट और मनमानी है और इसलिए धारा 15 (1) का आश्रय नहीं लिया जा सकता। याची द्वारा इस निवेदन के समर्थन में **साहनी बनाम मैसर्स सिल्वानिया एंड लक्ष्मण लिमिटेड**[1] वाले मामले का पर्याप्त रूप से आश्रय लिया गया है कि कर लगाने की घटना उस दिन घटती जब जलयान भारत के राज्य-क्षेत्रीय सागर-खंड में प्रविष्ट हुआ और यही वह तारीख है जिसको कि वह दर अवधारित की जानी चाहिए जिस पर आयात-शुल्क उद्गृहीत किया जा सकता है। हमारे विचार में, उस मामले में व्यक्त किए गए मत की सराहना करना वांछनीय है। मुंबई उच्च न्यायालय ने उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि जिस तारीख को जलयान राज्य-क्षेत्रीय सागर खंड में प्रवेश करता है वह यह अवधारित करने के लिए सुसंगत तारीख है कि उसके द्वारा किए गए माल का आयात सीमा-शुल्क अधिनियम की परिधि में आता है अथवा नहीं। विद्वान् न्यायाधीश ने यह कहा कि यदि माल का आयात उस तारीख को अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्राप्त है, तो अधिनियम की धारा 15 के उपबंध लागू नहीं होंगे और इसलिए वह आयात शुल्क से मुक्त होगा। ऐसे मामले जिसमें आयात किया गया, माल जलयान के राज्य-क्षेत्रीय सागर-खंड में प्रवेश करने की तारीख को छूट प्राप्त होता है और ऐसी स्थिति के बीच प्रभेद किया गया जिसमें किया गया आयात उस तारीख को अधिनियम के प्रवर्तन के अंतर्गत आता है किंतु शुल्क की दर शून्य होती है या कुछ आंकड़ों में होगी। मुंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा इस प्रभेद पर **अपार प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[2]

1. [1975] 77 बाम्बे एल० आर० 380.

2. [1985] 22 ई० एल० टी० 644.

वाले मामले में विचार किया गया जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति महादेव रेड्डी ने न्यायालय की ओर से निर्णय देते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष दिया —

> "यदि माल भारत में राज्य-क्षेत्रीय सागर खंड में प्रवेश के समय सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय मूल सीमा-शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त थे, तो उन पर सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 25 (1) के अधीन देशी उपभोग के लिए माल उतारने से पूर्व भी कोई मूल सीमा-शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।"
>
> ....
>
> केवल तब जब सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन माल पर कोई मूल सीमा-शुल्क प्रभार्य था जब उनका प्रवेश भारत के राज्य-क्षेत्रीय सागर खंड में किया गया, यथा स्थिति प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए जाने के समय प्रवृत्त दर या देशी उपभोग के लिए माल की निकासी के समय प्रवृत्त दर ही लागू होगी और मूल शुल्क संख्यांकित किया जाएगा और उन्हीं दरों पर उसकी मांग की जाएगी।"

7. और **जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड बनाम एस० आर० पाटंकर सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर, मुंबई और अन्य**[1] वाले मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि जहां आयात किए गए माल उस तारीख को जिसको कि जलयान ने भारत के राज्य-क्षेत्रीय सागर खंड में प्रवेश किया, सीमा-शुल्क के संदाय से पूर्णतः छूट प्राप्त थे, वहां कर लगाने की अवधि उस तारीख तक नहीं टाली जा सकती जिस तारीख को माल की निकासी मानव उपभोग के लिए की गई।

8. प्रस्तुत मामले में, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि जुलाई, 1981 में जब जलयान ने पहली बार भारत के राज्य-क्षेत्रीय सागर-खंड में प्रवेश किया तो उस समय प्रश्नगत आयातित माल पर सीमा-शुल्क की दर 12.5 प्रतिशत थी और तत्पश्चात् जब जलयान कराची से वापस लौटा और भारत के राज्य-क्षेत्रीय सागर खंड में प्रविष्ट हुआ तो शुल्क की दर 42.5 प्रतिशत हो गई थी।

9. हम ऊपर उल्लिखित मामलों में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत के सही होने के बारे में अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करते। इतना उल्लेख करना ही पर्याप्त है कि तथ्यों के संबंध में उनसे याचियों को कोई सहायता नहीं मिलती।

10. सीमा-शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन सीमा-शुल्क, अधिनियम की धारा 15 (1) के अनुसरण में, अवधारित किए जाते हैं। धारा 15(1)(क) के अधीन दर और मूल्यांकन वह दर और मूल्यांकन है जो उस तारीख को प्रवृत्त था जब धारा 46 के अधीन प्रवेशपत्र प्रस्तुत किया गया था। तथापि, परंतुक के अनुसार, यदि प्रवेशपत्र जलयान जिसके द्वारा माल आयात किया गया था, के अंतर्प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत किया गया था तो प्रवेशपत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अंतर्प्रवेश की तारीख को ही प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में, प्रवेशपत्र 9 जुलाई, 1981 को प्रस्तुत किया गया था। जलयान के अंतर्प्रवेश की 'तारीख' क्या थी। इस विषय में व्यापक प्रक्रिया के बारे में हम

---

1. [1988] 33 ई० एल० टी० 77=[1988] 14 ई० सी० आर० 101 (मुंबई)

1989(5) eILR(PAT) SC 1

श्री आर० एस० सिद्दू, अवर सचिव, भारत सरकार द्वारा फाइल किए गए प्रतिशपथ-पत्र के प्रति निर्देश करते हैं।

11. जलयान पहुंचने से पहले जलयान का मालिक या उसका अभिकर्ता पत्तन प्राधिकारियों और सेवा शुल्क प्राधिकारियों को जलयान के पहुंचने की संभावित तारीख की सूचना देता है। इस सूचना को तकनीकी तौर पर सामान्य आयात सूचीपत्र का प्रस्तुत किया जाना कहा जाता है। इस सूचनापत्र द्वारा मालिक जलयान द्वारा ले जाए जाने वाले स्थोरा की जानकारी देता है। प्रस्तुत मामले में, सूचनापत्र स्टीमर अभिकर्ता द्वारा 6 जुलाई, 1981 को उसके पत्र सं० आई० एम/394/81/1116 द्वारा ले जाया गया। स्वीकृत रूप से, यह सूचना या सूचीपत्र 6 जुलाई, 1981 को जलयान के पहुचने से पूर्व ही प्रस्तुत किया गया था। सूचनापत्र का प्रस्तुतीकरण जलयान के पहुंचने से पूर्व या जलयान के पहुंचने के पश्चात् सामान्य अनुक्रम में किया जा सकता है। अग्रेषण-पत्र में, जो 6 जुलाई, 1981 का है, पोत-अभिकर्ता ने प्राधिकारियों को यह सूचना दी कि पोत मुंबई में 12 जुलाई, 1981 को पहुंचेगा। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, यदि सूचनापत्र की सूचना या उसका प्रस्तुतीकरण जलयान के पहुंचने पर किया जाता है, तो पहुंचने से 24 घंटे के भीतर अंतर्प्रवेश के लिए साथ-साथ आवेदन भी दिया जाता है। प्रस्तुत मामले में, चूंकि जलयान बाद में पहुंचने वाला था, इसलिए 6 जुलाई, 1981 वाले पत्र के साथ आवेदन नहीं दिया गया। जलयान 11 जुलाई, 1981 को पहुंचा। सूचना प्राप्त होने पर 'पूर्व प्रवेश' की प्रविष्टि रजिस्टर में दर्ज की जाती है जो जलयान के अंतर्प्रवेश या बहिर्गमन रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। 'पूर्व प्रवेश' दर्ज कराए जाने पर, एक चक्रानुक्रम संख्यांक दे दिया जाता है और वह पोत-अभिकर्ता या जलयान के मालिक को सूचित कर दी जाती है। प्रस्तुत मामले में 'पूर्व प्रविष्टि' या चक्रानुक्रम सं० 347/पी० ई० आबंटित की गई थी। सीमा-शुल्क प्राधिकारी प्रतिदिन सामान्य आयाम सूचीपत्र प्राप्त होने पर प्रतिदिन आयातकर्ताओं की जानकारी के लिए सूचना-पटल पर जलयान के विवरण सहित एक सूचना प्रदर्शित करते हैं। सामान्य आयात सूची-पत्र के माध्यम से जलयान के पहुंचने या उसके पहुंचाने की प्रत्याशा में आयातकर्ता अथवा उसका निकासी-अभिकर्ता प्रवेशपत्र फाइल करता है। इस मामले में, प्रवेशपत्र 9 जुलाई, 1981 को फाइल किया गया। प्रवेशपत्र की बाबत सामान्य आयात सूचीपत्र में आयातकर्ता से संबंधित परेषण की बाबत एक प्रविष्टि की गई प्रविष्टि के सामने दर्ज कर दी जाती है।

12. इसलिए प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में है—

राज्य-क्षेत्रीय सागर खंड में जलयान के पहुंचने पर उसे पत्तन न्यास द्वारा बर्थ के आबंटन के लिए इंतजार करना पड़ता है। पत्तन न्यास प्राधिकरण पोत के पहुंचने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, यदि बर्थ उपलभ्य हो तो उसे आबंटित करते हैं जिससे कि स्थोरा उतारा जा सके। प्रस्तुत मामले में, चूंकि कोई बर्थ उपलभ्य नहीं थी, इसलिए जलयान कराची के लिए चल पड़ा जहां उसे स्थोरा उतारना था। जलयान 23 जुलाई, 1981 को मुंबई पहुंचा। इसके पहुंचने से पहले, स्टीमर अभिकर्ता ने 18 जुलाई, 1981 को अपने पत्र सं० आई० एम०/394-81/1223 के अधीन अपना अनुपूरक सूची-पत्र (मेनिफैस्ट) प्रस्तुत किया था। अंतर्वर्ती प्रवेश के रजिस्टर में की गई पूर्वतर प्रवेश की प्रविष्टि वही बनी रही

और चक्रानुक्रम संख्यांक भी वही बना रहा। अंतर्वर्ती प्रवेश वाले रजिस्टर के चक्रानुक्रम सं० 443 के सामने स्तंभ सं० 3 जलयान के आने की तारीख 23 जुलाई, 1981 उपदर्शित की गई थी और स्तंभ सं० 2 में अंतर्वर्ती प्रवेश की तारीख 31 जुलाई, 1981 दर्ज की गई थी। 30 जुलाई, 1981 को जलयान के मालिक 'मास्टर' ने यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा की कि जलयान अपना स्थोरा 31 जुलाई, 1981 को उतार सकता था और इसी आधार पर सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने जलयान को अपना स्थोरा उतारने के लिए अंतर्प्रवेश की अनुमति दी।

13. याचियों की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि माल के आयात के बारे में यह समझा जाना चाहिए वह 11 जुलाई, 1981 को किया गया जब पोत मूल रूप से मुंबई पत्तन में पहुंचा और अपनी आमद रजिस्टर कराई। उस तारीख को सीमा-शुल्क की चालू दर 12.5 प्रतिशत थी और यह कि विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि वही दर अधिनियम की धारा 15 के अधीन खाद्य तेल के परेषण पर लागू होनी चाहिए। प्रस्तुत मामले में, मुंबई पत्तन में जलयान को बर्थ प्राप्त नहीं हो सका वह कराची पत्तन पर उतारे जाने वाले स्थोरा को उतारने के लिए कराची को चल पड़ा और यदि बर्थ उपलभ्य होती, तो उसे यह जल यात्रा न करनी पड़ती बल्कि वह मुंबई में ही रहता और खाद्य तेल के परेषण को वहीं उतार देता, तब जो सीमा-शुल्क उद्गृहीत किया जाता वह 12.5 प्रतिशत की दर से होता। यह उल्लेख किया गया कि जलयान ऐसा नहीं कर सका जिसमें याचियों का कोई दोष नहीं था और मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 15 का युक्तियुक्त अर्थान्वयन किया जाना चाहिए जिससे कि जलयान के बारे में यह समझा जा सके कि उसने 11 जुलाई, 1981 को अंतर्प्रवेश किया था। हम इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते। धारा 15 के उपबंध अपने आप में ही स्पष्ट हैं। वह तारीख जिसको कि धारा 46 के अधीन प्रवेशपत्र प्रस्तुत किया जाता है। देशी उपभोग के लिए प्रवेश किए गए माल के मामले में शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर अवधारित करने की सुसंगत तारीख वही तारीख है जिसको कि प्रवेशपत्र प्रस्तुत किया गया। जहां प्रवेशपत्र जलयान के अंतर्प्रवेश की तारीख से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है वहां प्रवेशपत्र के बारे में यह समझा जाता है कि वह ऐसे अंतर्प्रवेश की तारीख को प्रस्तुत किया गया।

14. **मैसर्स ओमेगा इन्स्यूलेटेड केबल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड** बनाम **सीमा-शुल्क नियंत्रक, मद्रास**[1] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर निर्णय दिया कि अधिनियम की धारा 15 (1) (क) में आने वाले 'जलयान के अंतर्प्रवेश की तारीख जिसके द्वारा माल का आयात किया गया है' शब्दों का अर्थ है 'जलयान का वस्तुतः अंतर्वर्ती प्रवेश अथवा विभाग द्वारा जलयान के अंतर्प्रवेश की अनुमति देने हेतु उसकी आमद को दर्ज करने की तारीख'। विद्वान् न्यायाधीशों ने पूर्वतर परिनियम के समस्थानी उपबंधों की परीक्षा की और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, समय-समय पर यथासंशोधित, की धारा 15 के उपबंधों की तुलना धारा 16 के उपबंधों से की और यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 15 (1)(क) और उसके परंतुक के प्रयोजनों के लिए अंतर्प्रवेश की तारीख वह तारीख है जिस तारीख को सीमा-शुल्क रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज की गई है।

---

1. 1969 के रिट पिटीशन सं० 537—निर्णय की तारीख 9 जुलाई, 1975.

1989(5) eILR(PAT) SC 1

15. हमने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों पर सम्यक् रूप से ध्यान दिया जो अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री सीमा-शुल्क अधिनियम और सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 16 में किए गए संशोधनों के उपबंधों पर आधारित है और हमारी यह राय है कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स ओमेगा इन्स्यूलेटेड केबल कंपनी लिमिटेड**[1] वाले मामले में अपनाया गया मत सही दृष्टिकोण व्यक्त करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 16 में किया गया संशोधन, स्पष्टीकरण के रूप में किया गया और हमारी राय में, इस निष्कर्ष से पृथक् नहीं है कि 'जलयान के अंतर्प्रवेश की तारीख' वह तारीख है जो सीमा-शुल्क रजिस्टर में अभिलिखित की गई है। प्रस्तुत मामले में, 'जलयान के अंतर्प्रवेश की तारीख' 31 जुलाई, 1981 उल्लिखित की गई है। किसी अन्य बात के अभाव में, हम यह मान सकते हैं कि यह प्रविष्टि उसी तारीख को अभिलिखित की गई। तदनुसार, आयात शुल्क और मूल्यांकन की दर सही होगी जो 31 जुलाई, 1981 को प्रवृत्त थी। याचियों की यह दलील कि आयात शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर 11 जुलाई, 1981 को लागू दर से ही नियंत्रित होगी, कायम नहीं की जा सकती और नामंजूर की जाती है।

16. इस प्रश्न के बारे में कि क्या सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 15 इस आधार पर अधिकारातीत है कि यह सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को अंतर्प्रवेश की तारीख अवधारित करने के विषय में मनमाने विवेकाधिकार प्रदान करती है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस निवेदन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि उपबंध अविधिमान्य है। क्रमवार रूप से किए गए कृत्यों की श्रृंखला से ही कोई प्रक्रिया बनती है और यह उपधारणा युक्तियुक्त है कि इस श्रृंखला में किया गया प्रत्येक कार्य समय के भीतर पूरा हुआ। मामले को उस दृष्टि से देखते हुए, धारा 15 की विधिमान्यता पर किया गया आक्षेप विफल होता है। यह सच है कि माल के निर्यात के मामले में धारा 16 में संशोधन किया गया है और निर्यात वाले माल पर लागू होने वाली शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर विनिर्दिष्ट रूप से 'उस तारीख के जब समुचित अधिकारी निर्यात के लिए माल की निकासी या लदान की अनुमति देता है' के प्रति निर्देश से युक्तियुक्त हैं और यह स्पष्ट है कि धारा 15 के उपबंधों में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोप हुआ है उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण नियमित और निरंतर रूप से किया जा रहा है। हमारे समक्ष यह दर्शित करने के लिए कोई बात नहीं है कि प्रक्रिया का अनुसरण करते समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने मनमाने रूप से कृत्य किया।

17. तदनुसार, हमारी यह राय है कि याचियों द्वारा किया गया दावा नामंजूर किया जाना चाहिए।

18. अंततः, याचियों की यह दलील रद्द की जाती है कि 15 प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित करते हुए याचियों के साथ जो व्यवहार किया गया है वह इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए तत्समान आयात पर लागू की जाने वाली शुल्क की दर केवल 5 प्रतिशत थी। इस

---

[1] 1969 की रिट पिटीशन सं० 537—निर्णय की तारीख 9 जुलाई, 1975

1989(5) eILR(PAT) SC 1

प्रश्न पर हमने पहले ही विचार कर लिया है और हमारे द्वारा आज ही सुनाए गए **एम० एम० भांगीर भतूशा** और **अन्य** बनाम **भारत संघ** और अन्य[1] वाले निर्णय में ये दलीलें नामंजूर कर दी गई हैं।

19. रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

याचिकाएं खारिज की गईं।

ह०/ज०